सीमाशुल्क आयुक्त (एनएस-III) का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, NS-III, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा, JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE, NHAVA SHEVA, तालुका उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र TAL: URAN, DIST-RAIGAD, MAHARASHTRA-400707 मेल आईडी/Mail Id: crc-jnch@gov.in

फाइल सं./F. No: S/26-MISC-02/2017-18/CRC-I

दिनांक/Date: 04.03.2025

सार्वजनिक सूचना/PUBLIC NOTICE No. 26/2025

विषय/Subject: सीमाशुल्क में धन वापसी एप्लिकेशन और प्रक्रिया का ऑटोमेशन Automation of Refund Application and Processing in Customs – reg.

सभी आयातकों/निर्यातकों/सीएचए और सभी संबंधितों का ध्यान सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांकित 17.02.2025 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सीमाशुल्क में धन वापसी एप्लिकेशन और प्रसंस्करण के ऑटोमेशन के संबंध में है।

Kind attention of all the Importers/Exporters/CHAs and all concerned is invited towards the Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025 issued by CBIC regarding automation of refund application and processing in Customs.

2. धन वापसी के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण के लिए, सीमाशुल्क धन वापसी एप्लिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया और संवितरण विकसित किया गया है और इसे सीमाशुल्क ऑटोमेशन प्रणाली पर सक्षम किया गया है।

For electronic disbursal of refunds, an online processing and disbursal of Customs duty refund application has been developed and is enabled on the Customs Automated System.

3. इस संबंध में, संदर्भ की सुविधा के लिए सीबीआईसी द्वारा जारी परिपन्न संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांक 17.02.2025 संलग्न है जिसमें धन वापसी की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

In this regard, for ease of reference Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025 issued by CBIC is attached herewith wherein key aspects relating to the electronic processing of refund have been elaborated.

4. एक त्वरित उपाय के रूप में, आवेदक 31.03.2025 तक मैन्युअल या ऑनलाइन रिफंड दाखिल कर सकता है। हालाँकि, 31.03.2025 के बाद कोई भी मैन्युअल धन वापसी एप्लिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा लिखित रूप में इसकी अनुमति न दी जाए।

As a transitional measure, applicant may file refund either manually or online till 31.03.2025. However, no manual refund application shall be accepted after 31.03.2025, unless the same is allowed by the Pr. Commissioner/Commissioner of Customs, for the reasons to be recorded in writing.

5. सभी आयातकों/निर्यातकों/सीएचए और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांकित 17.02.2025 में बताए गए प्रमुख पहलुओं से स्वयं को अवगत कराएं।

All the Importers/Exporters/CHAs and other concerned are hereby requested to apprise themselves of the key aspects as indicated in the Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025.

6. सभी आयातकों/निर्यातकों/सीएचए और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपने सभी आगामी धन वापसी दावे केवल ऑनलाइन (आईसीईगेट पोर्टल) मोड के माध्यम से ही दाखिल करें, क्योंकि 31.03.2025 के बाद बिना किसी वैध कारण के कोई भी मैनुअल धन वापसी एप्लिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

All the Importers/Exporters/CHAs and other concerned are hereby also requested to file all their future refund claims through online (ICEGATE Portal) mode only as no manual refund application shall be accepted after 31.03.2025 without any valid or plausible reason.

7. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को कार्यालय के ध्यान में लाया जाए।

Any difficulty noticed in the implementation of this Public Notice may be brought to the notice of this office.

(संजीव कुमार सिंह) (Sanjeev Kumar Singh)

आयुक्त सीमाशुल्क Commissioner of Customs, सीआरसी-I, जेएनसीएच, एनएस-III CRC-I, JNCH, NS-III

संलग्न/Encl: Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025